सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/ATY-1626/JH/84/2024-RO-RNC दिनांक : 16.06.2026

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला - देवघर,
उपायुक्त कार्यालय,
देवघर, झारखंड 814112
ई-मेल: dc-deo@nic.in

पुलिस अधीक्षक,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
झारखंड पुलिस,
देवघर, झारखंड 814112
Email Id: sp-deo@nic.in

विषय: **अभ्यावेदक श्री राजेश मुर्मु, पिता - श्री हराधन मुर्मू ग्राम - कपसियों, थाना - चितरा, जिला - देवधर (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन " भोला पंडित एवं अन्य अभियुक्तों के द्वारा उनके साथ मारपीट करने, जातिगत गाली देकर अपमानित करने एवं पुलिस के द्वारा केस दर्ज नहीं करने के संबंध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

प्रवीण 16-06

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव/ Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:
श्री राजेश मुर्मु,
पिता - श्री हराधन मुर्मू,
ग्राम - कपसियों, थाना - चितरा,
जिला - देवधर (झारखंड) - 814113,
Mobile No: 9934306174

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/ATY-1626/JH/84/2024-RO-RNC

अभ्यावेदक श्री राजेश मुर्मु, पिता- श्री हराधन मुर्मू, ग्राम- कपसियों, थाना- चितरा, जिला- देवघर (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन, भोला पंडित एवं अन्य अभियुक्तों द्वारा मारपीट करने, जातिसूचक गाली देकर अपमानित करने तथा पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में लापरवाही एवं भ्रष्टाचार बरतने के संबंध में, के प्रकरण में आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली सिटिंग हेतु मामले का सारांश।

सुनवाई की तिथि : 01.06.2026
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार
सुनवाई का स्थान : परिसदन, दुमका, झारखंड

अभ्यावेदक श्री राजेश मुर्मु, पिता- श्री हराधन मुर्मू, ग्राम- कपसियों, थाना- चितरा, जिला- देवघर (झारखंड) द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया कि दिनांक 28.12.2023 को रात्रि लगभग 07:00 बजे सारठ थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुनियाटांड़ बस्ती स्थित बजरंगबली मंदिर के समीप भोला पंडित एवं अन्य अभियुक्तों द्वारा उनकी मोटरसाइकिल को रोककर उन्हें जातिसूचक शब्दों "सौतार" एवं "चूहा खानेवाले जाति" कहकर अपमानित किया गया तथा विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। अभ्यावेदक ने यह भी आरोप लगाया कि अभियुक्तों द्वारा उनका मोबाइल फोन एवं नकद राशि छीन ली गई तथा मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

2. अभ्यावेदक के अनुसार घटना के उपरांत थाना प्रभारी, सारठ द्वारा तत्काल प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तथा प्राथमिकी दर्ज करने के एवज में ₹50,000/- की मांग की गई, जिसके पश्चात अभ्यावेदक द्वारा ₹7,000/- देने पर मामला दर्ज किया गया। अभ्यावेदक ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन अभियुक्तों को संरक्षण प्रदान कर रहा है तथा उनके विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है।

3. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 13.03.2024 को उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, जिला- देवघर (झारखंड) को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया।

4. पुलिस अधीक्षक, देवघर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अभ्यावेदक के आवेदन पर सारठ थाना कांड संख्या-170/2023 दर्ज किया गया, जिसमें अनुसंधान के दौरान धारा 341/323/427/34 भा.दं.वि. के आरोप सत्य पाए गए, जबकि चोरी, गाली-गलौज एवं एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। प्रतिवेदन में घटना को मोटरसाइकिल दुर्घटना से संबंधित बताया गया तथा इसी संबंध में अभ्यावेदक के विरुद्ध सारठ थाना कांड संख्या-169/2023 भी दर्ज होने की जानकारी दी गई। अभ्यावेदक ने पुलिस जांच पर असंतोष व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस अभियुक्तों को संरक्षण दे रही है तथा मामले को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। बाद में प्राप्त प्रतिवेदन में भी जातिसूचक गाली-गलौज की पुष्टि नहीं होने की बात कही गई। उक्त प्रतिवेदनों से असंतुष्ट होकर अभ्यावेदक ने व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा द्वारा उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, देवघर को सुनवाई हेतु समन जारी करने का निर्देश दिया गया।

आशा लकड़ा

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

5. प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा मामले पर विचार किया गया और सुनवाई हेतु संबंधित पक्षों को सिटिंग सूचना (Sitting Notice) निर्गत की गई। सुनवाई के दौरान अपर समाहर्ता (ADC), देवघर, झारखंड आयोग के समक्ष उपस्थित हुए तथा शिकायतकर्ता भी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

6. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि घटना में जाति-सूचक गाली-गलौज एवं गंभीर मारपीट हुई थी, किन्तु पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं को आरोपपत्र में शामिल नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि स्वतंत्र गवाह उपलब्ध हैं, परंतु उनके बयान समुचित रूप से दर्ज नहीं किए गए। इस पर आयोग ने पुलिस अधिकारियों से मामले की पुनः समीक्षा करने तथा उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। पुलिस अधिकारियों ने अवगत कराया कि पूरक अनुसंधान (Supplementary Investigation) कर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है तथा लगभग 15-20 दिनों में पूरक आरोपपत्र समर्पित किए जाने की संभावना है।

7. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

i. पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि उपलब्ध साक्ष्यों एवं स्वतंत्र गवाहों के बयानों की पुनः समीक्षा कर आवश्यक होने पर पूरक अनुसंधान करते हुए पूरक आरोपपत्र न्यायालय में समर्पित किया जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को भेजा जाए।

ii. मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा की गई कार्रवाई से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन आयोग को निर्धारित अवधि में प्रेषित किया जाए।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi